दिनांक	आज्ञा-पत्र
6/11/19	पत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/ यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/11/19 को पेश हो।
27/11/19	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा। अतः अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 17/12/19 को पेश हो।
17/12/19	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष के अभिभाषक उप.। बहस उभयपक्ष से सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 7/1/20 को पेश हो।
07.1.20	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई उभयपक्ष के अभिभाषक उप.। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली [illegible] होकर बाद तकमील [illegible] मूल वाद के संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुख्यालय सीकर राज.

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र/61/2014

संतोष पुत्री नरसीराम आयु 25 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम कदमा का बास तहसील धोद जिला–सीकर। –प्रार्थीया

बनाम

1. नरसीराम पुत्र स्व. चन्द्राराम आयु 47 वर्ष
2. श्रीमती मनोहरी पत्नी नरसीराम आयु 45 वर्ष
3. दिनेश कुमार पुत्र नरसीराम आयु 19 वर्ष
4. ईश्वरचंद पुत्र बिहारीलाल आयु 52 वर्ष
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कदमा का बास तहसील धोद जिला–सीकर।
5. तहसीलदार, धोद

–अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति–
01. श्री कैलाश सोनी, वकील प्रार्थीया की ओर से
02. श्री अनिल शर्मा, वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
03. भागीरथमल जाखड, वकील अप्रार्थीगण सं. 4 की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 07.01.2020

01. वकील प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "ग्राम कदमा का बास में विवादित भूमियां खसरा सं. 241 रकबा 4.30 हेक्टेयर व खसरा सं. 268 रकबा 2.93 हेक्टेयर अवस्थित है। उक्त आराजियात प्रार्थीया व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के पूर्वज स्व. चन्द्राराम को उनके पूर्वजों से जरिये विरासत के प्राप्त हुई थी तथा स्व. चन्द्राराम के स्वर्गवास होने के बाद उनके वारिसान प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 की पैतृक आराजियात होने से उक्त आराजियात में बाई बर्थ हक व हिस्सा निर्धारित है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है–

चन्दाराम
↓
नरसीराम
↓
मनोहरी देवी, सन्तोष, दिनेश कुमार

उपर्युक्त सजरा खानदान के मुताबिक विवादित भूमियों में स्व. चन्द्राराम के चारों वारिसों का बराबर हक व हिस्सा है। परन्तु सहवन से अथवा अप्रार्थी सं. 1 की मिलीभगत के कारण उक्त विवादित भूमियों में विरासत के आधार पर खातेदारी में केवल पुत्र अप्रार्थी सं. 1 का ही नाम अंकित हो गया, जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पुत्री अथवा पौत्री का भी पैतृक आराजी में पुत्रों व पौत्रों के समान ही बराबर हक व हिस्सा होता है। अप्रार्थी सं. 1 को अप्रार्थी सं. 4 ने बहकाकर भूमि खसरा सं. 241 में नाम अंकित होने की

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

स्थिति का लाभ लेते हुये दिनांक 02.08.2010 को एक विक्रय–पत्र अप्रार्थी सं. 1 से अपने पक्ष में सम्पादित व पंजीबद्ध करवा लिया। चूंकि उक्त विक्रय–पत्र बिना प्रार्थीया की स्वीकृति व सहमति के करवाने एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने हक व हिस्से से अधिक भूमि का बिना किसी अधिकार के किये जाने से प्रारम्भतः शून्य व अवैद्य है। इस प्रकार प्रार्थीया के साम्पतिक अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है। विवादित आराजी पर प्रार्थीया अपने कब्जेशुदा हिस्से पर काबिज होकर काश्त करती है। परन्तु पूरे गांव में उक्त विक्रय–पत्र की चर्चा होने पर प्रार्थीया को उक्त विक्रय–पत्र होने बाबत जानकारी प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं. 4 ने प्रार्थीया को धमकी दी कि वे जल्दी ताकत के बल पर व भूमाफिया व्यक्तियों के सहयोग से विवादित भूमियों पर कब्जा करेंगें तथा प्रार्थीया को काश्त न करने देकर उक्त भूमियों को अन्तरित कर देंगें। यदि अप्रार्थीगण इस कुउद्देश्य में सफल हो गये, तो प्रार्थीया को असीम क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से संभव नहीं है। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला पूर्णतया पुष्ट एवं प्रमाणित है। सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे विवादित भूमियां खसरा सं. 241 रकबा 4.30 हेक्टेयर व खसरा सं. 268 रकबा 2.93 हेक्टेयर वाके ग्राम कदमा का बास में प्रार्थीया के उपयोग–उपभोग में दखलअंदाजी करने से बाज रहें व उक्त आराजियात का बेचान करने व अन्तरण करने से प्रतिबंधित रहें।"

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 2, 3 व 5 पर बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अभिभाषक श्री अनिल शर्मा ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जिसमें उल्लेखित किया कि जवाबदाता को धोखें में रखकर अप्रार्थी सं. 4 द्वारा विक्रय–पत्र करवाया गया है, जवाबदाता को अप्रार्थी सं. 4 ने न तो एक रूपया दिया है और न ही जवाबदाता ने अप्रार्थी सं. 4 को विवादित भूमियों का कब्जा सम्भलाया। कब्जा आज भी अप्रार्थी सं. 4 का है। अतः आवेदन में अंकित अनुतोष के अनुसार रिलीफ यदि प्रार्थीया को दी जाती है, तो जवाबदाता को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी सं. 4 की ओर से अभिभाषक श्री भागीरथमल जाखड़ ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जिसमें उल्लेखित किया कि विवादित आराजियात में प्रार्थीया का कोई हक अधिकार व संबंध सरोकार नहीं है। आराजी खसरा सं. 241 अप्रार्थी सं. 1 के खाते कब्जे–काश्त की भूमि थी, जिसको विधिवत जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांकित 02.08.2010 को पंजीकृत करवाकर कब्जा जवाबदाता/क्रेता को संभलाया गया तथा मौजूदा में अप्रार्थी सं. 4 बोनाफाईड क्रेता की हैसियत से विवादग्रस्त भूमि पर काबिज है। प्रार्थीया का किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है। सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है। विधिनुसार रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांकित 02.08.2010 को सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त करवाये बिना प्रार्थीया न्यायालय हाजा में कोई रिलीफ प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। अतः प्रार्थीया का आवेदन खारिज किया जावें।

03. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने आवेदन के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीया ने अपनी पैतृक सम्पति को प्राप्त करने हेतु उद्घोषणा का वाद पेश किया है। प्रार्थीया के पिता नरसीराम ने सम्पूर्ण जमीन दिनांक 02.08.2010 को अप्रार्थी सं. 4 को बेचान कर दी। उक्त बेचान दस्तावेज का नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ है। पैतृक सम्पति में प्रार्थीया का हिस्सा बनता है। अतः तादौराने फैसला दावा टी.आई. जारी की जावें। वकील अप्रार्थी सं. 4 ने बहस के दौरान अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी सं. ने खसरा सं. 241 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांकित 02.08.2010 के द्वारा रिकॉर्डेड खातेदार नरसीराम से क्रय किया था। इससे पूर्व भी नरसीराम के लड़के

उपखण्ड अधिकारी
लोद म सीकर

Scanned with CamScanner

उपखण्ड अधिकारी दांता (रा०) सीकर

दिनेश ने दावा किया, जिसे विड्रा कर लिया गया। अब यह दावा नरसीराम की पुत्री संतोष ने किया है। रिकॉर्डेड खातेदार आर.टी. एक्ट की धारा 41 के तहत अपने हिस्से की जमीन बेचान कर सकता है। राजस्व मण्डल के निर्णय आर.आर.डी. 2002 पेज 689 के अनुसार विक्रय–पत्र को निरस्त करने के बाद ही उद्घोषणा का दावा पेश किया जा सकता है। प्रार्थीया को वाद लाने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीया का आवेदन टी.आई. खारिज किया जावें। रिपीटल में वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि अप्रार्थी सं. 4 बोनाफाईड क्रेता नहीं है। विवाद नहीं बढ़े इस बाबत प्रार्थीया द्वारा टी.आई. पेश की गई है। अतः टी.आई. जारी की जावें। रिपीटल में वकील अप्रार्थी सं. 4 ने कथन किया कि प्रार्थीया न तो रिकॉर्डेड खातेदार है तथा न ही प्रार्थीया का कब्जा–काश्त है। अतः प्रार्थीया का आवेदन टी.आई. खारिज किया जावें।

04. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। टी.आई. के आवेदन में तीन बिंदुओं का विवेचन आवश्यक है–

(A) प्रथम दृष्ट्या मामला– पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2068–71 के अनुसार विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 नरसीराम पुत्र चन्द्राराम जाति जाट सा. देह के नाम पर दर्ज है तथा आधार वर्ष सम्वत् 2041 की जमाबंदी में विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 के पिता चन्द्रा पुत्र लिखमा जाति जाट सा. देह के नाम पर दर्ज है। इससे यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि अप्रार्थी सं. 1 को उक्त विवादित भूमि जरिये विरासत प्राप्त हुई है। अतः उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 की पैतृक भूमि है। अतः उक्त पैतृक भूमि में पुत्री भी पुत्र की तरह उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत कर सकती है। प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र का अप्रार्थी सं. 1 ने भी समर्थन किया है तथा स्वीकार किये जाने में सहमति प्रकट की है। प्रार्थीया का उक्त विवादित भूमि में कोई हिस्सा बनता है या नहीं और बनता है तो कितना बनता है। अप्रार्थी सं. 1 को भूमि बेचने का अधिकार था या नहीं? अप्रार्थी सं. 4 के पक्ष में किया गया विक्रय–पत्र Null and Void है या नहीं आदि सभी बिन्दुओं का निस्तारण दावें में सम्पूर्ण सुनवाई के पश्चात् किया जायेगा। अतः उपर्युक्त विवरणानुसार भूमि पैतृक होने के कारण प्रार्थीया का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है।

(B) सुविधा का संतुलन– भूमि पैतृक होने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है।

(C) अपूरणीय क्षति– यदि विवादित भूमि के रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन होता है या Further Sale होती है तो इससे वाद बहुलता बढ़ेगी, जिससे वादिया को क्षति कारित होने की संभावना है। अतः उक्त बिन्दु भी वादिया के पक्ष में प्रमाणित है।

अतः उपर्युक्त विवरण के अनुसार तीनों बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में साबित है। इसलिए प्रार्थीया का आवदेन स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक आराजियात खसरा सं. 241 रकबा 4.30 हेक्टेयर व खसरा सं. 268 रकबा 2.93 हेक्टेयर वाके ग्राम कदमा का बास तहसील धोद के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 07.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

Copy Not Official

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.01.15 15:49:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: